राजस्थान सरकार
कार्यालय शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं आयुक्त, ईजीएस

क्रमांकः एफ. 4(5)ग्रावि / नरेगा / Dovt / 09 जयपुर,दिनांकः 06.04.2009

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
समस्त,राजस्थान

विषयः अन्य विभागों के साथ Convergence के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी (नरेगा) की क्रियान्विति के बारे में समय–समय पर जन प्रतिनिधियों एवं अन्य वर्ग द्वारा स्थायी प्रकृति के उपयोगी कार्य कराये जाने पर बल दिया जाता रहा है। भारत सरकार ने भी अन्य विभागों के साथ नरेगा कार्यों के **Convergence** की बात कही है। कार्यों को स्वीकृत करते समय कार्यवार श्रम एवं सामग्री का अनुपात 60 : 40 प्रतिशत होना आवश्यक नहीं है, अपितु कार्य की प्रकृति के अनुसार सामग्री मद में 40 प्रतिशत से अधिक भी व्यय किया जा सकता है जैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित होने वाली सड़कें आदि।

यह अवश्य सुनिश्चित करे, कि जिला स्तर पर सामग्री का प्रतिशत 40 से अधिक नहीं हो। यह सम्भव है क्योंकि कई ऐसे कार्य भी होंगे जिसमें सामग्री का प्रतिशत काफी कम होगा। यदि किसी कार्य में सामग्री मद हेतु अतिरिक्त धन राशि किसी विभाग में उपलब्ध है तो उसे भी नरेगा कार्य के साथ Dovetail किया जाना उचित होगा।

भवदीय,
6/4/09

(राजेन्द्र भाणावत)
शासन सचिव,ग्रा.वि.
एवं
आयुक्त, ईजीएस